समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका कमांक /2013–14 R-625-II/14

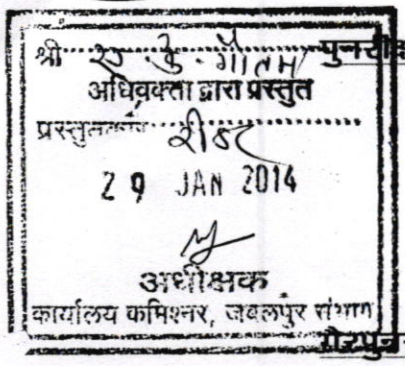

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक : पोचा पिता श्री चमरा, जाति अहीर, उम्र–लगभग 60 वर्ष, निवासी–ग्राम चटरा, तहसील नारायणगंज, जिला मण्डला (म. प्र.)

विरूद्ध

गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 540/अ–63/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय कलेक्टर मण्डला द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–63/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2012 एवं विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवास, जिला मण्डला द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–73/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 02.04. 2012 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत् प्रस्तुत कर रहा है:–

तथ्य

1. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता ग्राम चटरा, तहसील नारायणगंज, जिला मण्डला (म.प्र.) का स्थाई निवासी है तथा अशिक्षित कृषक है ।

2. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के नाम से राजस्व अभिलेखों में ग्राम चटरा, प.ह.नं. 32, ख.नं. 37/1 रकबा 0.27 हे. की कृषि भूमि भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है । उक्त भूमि का पांचसाला खसरा यहां संलग्न है जो **प्रदर्श पी/1** है ।

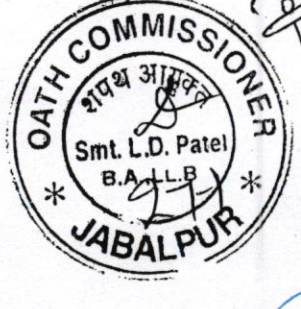

3. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि पर सागौन प्रजाति के 11 वृक्ष लगे हुये थे जिसके कारण आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता अपनी उपरोक्त भूमि पर उचित ढंग से कृषि करने में असमर्थ हो रहा था जिससे वह आर्थिक रूप से तंग था । इस कारण उसके द्वारा तहसीलदार नारायणगंज के समक्ष दिनांक 11.07.2011 को प्रस्तुत कर उक्त वृक्ष काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु लगभग 3 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार महोदय द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर कृषि के समय को देखते हुए उसके द्वारा

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
29 JAN 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग
OATH COMMISSIONER
शपथ आयुक्त
Smt. L.D. Patel
B.A., LL.B
JABALPUR
CANCELLED

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-625-दो/14 **जिला** - मण्डला

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.4.18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 540/अ-63/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम चटरा स्थित भूमि खसरा नं. 37/1 रकवा 0.27 हे. भूमि को कृषि योग्य बनाने के आशय से सागौन प्रजाति के वृक्ष को काटने हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तीन माह तक अनुमति न दिए जाने से उक्त वृक्षों की कटाई कराई गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2012 द्वारा रुपये 5000/- का अर्थदण्ड किया गया, जिसके विरुद्ध कलेक्टर मण्डला के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 24.11.2012 द्वारा अस्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जो उनके आदेश दिनांक 22.11.2013 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा काटे गए वृक्षों को भी राजसात किया गया है तथा आवेदक को 5000/- का अर्थदण्ड भी लगाया गया है जबकि वास्तव में उक्त वृक्ष आवेदक की भूमि पर लगे हुए थे अतएव उक्त वृक्ष आवेदक की संपत्ति थे जिन्हें राजसात नहीं किया जाना चाहिए था। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा नर्बदा प्रसाद बनाम स्टेट 1963 राजस्व निर्णय 401 में स्पष्ट रूप	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से अवधारित किया गया है कि संहिता की धारा 179 (1) के अंतर्गत वृक्ष भूमि स्वामी की संपत्ति होते हैं अतएव पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घंसौर का प्रकरण क्रमांक 23/अ-73/06-07 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2007 की प्रति प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त प्रकरण हूबहू आवेदक के प्रकरण के समान है तथा उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा काटी गई लकड़ी आवेदक के खाते की होने के कारण जब्त नहीं किए जाने का आदेश पारित किया गया है, की ओर ध्यान नहीं दिया गया है अतएव पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, किंतु वर्तमान प्रकरण में भी काटे गए वृक्ष जिन्हें आवेदक द्वारा ही लगाया गया था, को आवेदक द्वारा काटा गया है अतएव उक्त वृक्षों की लकड़ी आवेदक की थी। ऐसी स्थिति में यदि आवेदक द्वारा उक्त वृक्षों की कटाई विधिवत अनुमति लिए वगैर ही की गई थी तो उसे संहिता की धारा 253 में दिए गए प्रावधानों के तहत मात्र अर्थदण्ड से दंडित किया जाना चाहिए था अतएव पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किए जाने योग्य है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 11 सागौन के वृक्ष बिना अनुमति के काट लिए जाने के कारण संहिता की धारा 253 के तहत आवेदक को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं काटे गए समस्त वृक्षों की लकड़ी जप्त कर, जप्ती की गई समस्त लकड़ियों को राजसात कर डिपो भेजे जाने के आदेश वन मण्डलाधिकारी को दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेश में की है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। जिनमें हस्तक्षेप किए जाने का	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-625-दो/14 **जिला** - मण्डला

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	